पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०–02–13/2019–ज.सं.– 31

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, (यांत्रिक) राँची।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 20/5/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची को विभिन्न सिंचाई योजनाओं के यॉत्रिक कार्यो का पुनर्स्थापन हेतु कुल रू॰ **69.32** लाख **(उनहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)** रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–29/16–17, दि॰ 14.07.16, 78/17–18, दि॰14.03.18, 44/17–18, दि॰ 03.10.17, 53/17–18, दि॰ 07.11.17 एवं 17/18–19, दि॰ 10.07.18

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य	796–जन–जातीय क्षेत्र उपयोजना/46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड–49S470180796460545	**69.32**

आवंटित राशि – ₹ उनहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष **2019–20** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 700.00 लाख (सात करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 तथा 2747(वि॰), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप परिशिष्ट–1, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

15/05/19.

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–1

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन **Hard Copy** में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** (संबंधित **LOC** संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(अरूण कुमार सिंह) 17-5-19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 31 रॉची, दिनांक :– 20/5/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(अरूण कुमार सिंह) 17-5-19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 31 रॉंची, दिनांक :– 20/5/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभिं॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(रमेश कुमार दूबे) 15/05/19 विशेष सचिव	(हेमन्त कुमार) अभियंता प्रमुख–1	(अरूण कुमार सिंह) 17-5-19 **अपर मुख्य सचिव**

विभागीय पत्रांक 31 दिनांक 20/5/19 का अनुलग्नक

परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्र उपयोजना,
उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180796460545
वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध 700.00 लाख (सात करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2019 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटन: पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	आवंटित राशि	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची (DRNMID001)	यॉत्रिक	सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची के अन्तर्गत नन्दिनी जलाशय योजना के दाँया एवं बाँया आउटलेट गेटों, उत्तोलन प्रणाली एवं इम्बेडेड पार्ट आदि के निर्माण/ अधिष्ठापन/ जीर्णोद्धार कार्य हेतु।	29/16–17 प्र.स्वी., दिनांक–14.07.16 Onlinhe AA-1052/20.07.16	49.160	40.189	0.000	1.400	1.400	41.589	**26027**	
			सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची के अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना, धनसिंहटोली जलाशय योजना, ब्राहमणी वीयर योजना एवं सोना वीयर योजना के यॉत्रिक कार्य हेतु।	78/17–18 प्र.स्वी., दिनांक–14.03.2018 Online AA-2449/15.03.18	253.530	74.020	0.000	53.640	53.640	127.660	**26028**	चिन्दा जलाशय योजना के अन्तर्गत कैनाल नेटवर्क पर कराये जाने वाले कार्य (रू. 148.44 लाख)
			सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची अंतर्गत चिन्दा जलाशय योजना एवं धनसिंहटोली जलाशय योजना के यांत्रिक कार्य हेतु।	44/17–18 प्र०स्वी० दिनांक–03.10.17 Online AA-1381/05.10.17	270.400	179.370	0.000	8.000	8.000	187.370	**26029**	चिन्दा जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू. 196.91 लाख)
			सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची अंतर्गत विजय वीयर योजना, सुरंगी जलाशय योजना, रोरो वीयर योजना एवं तपकारा जलाशय योजना के डैम एवं नहरों के विभिन्न गेटों के यांत्रिक कार्य हेतु।	53/17–18 प्र०स्वी० दिनांक–07.11.17 Online AA-1534/08.11.17	168.530	50.982	0.000	3.000	3.000	53.982	**26031**	रोरो वीयर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू. 68.27 लाख)
			सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची अंतर्गत पारस जलाशय योजना एवं कोकरो वीयर योजना के नरम्मति एवं सम्पोषण (R/M) कार्य हेतु।	17/18–19 प्र०स्वी० दिनांक–10.07.18 Onl.ne AA-843/10.07.18	5.060	0.000	0.000	3.280	3.280	3.280	**26033**	पारस जलाशय योजना के रबर सिल की मरम्मति एवं नया बदलने का प्रावधान। इसके विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य संबंधित कार्य (रू. 3.28 लाख)
						योग	**0.000**	**69.320**	**69.320**	**413.881**		

आवंटित राशि – ₹ उनहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे) 15/05/19
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–1

(अरूण कुमार सिंह) 17.5.19
अपर मुख्य सचिव